न्यायालय राजस्व मण्डल ग्वालियर म0प्र0 खण्डपीठ रीवा

जिला–रीवा (म0प्र0)

R 5227-पी-II/16

Rs 301/-

सूर्य प्रकाश समदरिया तनय सोमनाथ समदरिया निवासी ग्राम घटेहा तह0 त्योंथर जिला–रीवा म0प्र0
—निगरानीकर्ता

बनाम

म0प्र0 शासन
गैर निगरानीकर्ता

निगरानी विरूद्ध आदेश अपर कमिश्नर महोदय संभाग रीवा म0प्र0 रा0प्र0क्र0 649/अपी0/15–16

निर्णय दिनांक 17.03.2016 निगरानी अन्तर्गत

धारा 50 (1) म0प्र0भू0रा0सं0 1959

श्री... सुरेन्द्र पाण्डेय ... द्वारा आज दिनांक 16-5-16 को प्रस्तुत किया गया
रीडर
सर्किट कोर्ट रीवा

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है :–

1. यह कि अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा द्वारा ग्राह्यता के बिन्दु पर की अपील प्रकरण प्रचलन योग्य नहीं है अभिलेखों को बिना देखे पारित निगरानी अधीन आदेश निरस्तनीय है।

SKPandey 16/05/016

2. यह कि निगरानी अधीन आदेश ग्राम घटेहा तह0 त्योंथर की जिन भूमि नम्बरान 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 29 को अनदेखा करके रामजानकी मंदिर घटेहा प्रबंधक जिला अध्यक्ष रीवा के नाम दर्ज है कभी ये भूमियां रामजानकी मंदिर घटेहा को आन्तरित ही नहीं की गई है। आन्तरण संबंधी विलेख बिना देखे अपर आयुक्त महोदय रीवा संभाग रीवा ने निगरानी अधीन आदेश पारित करके कानूनी भूल किया है जिससे निगरानी अधीन आदेश निरस्तनीय है।
3. यह कि निगरानी अधीन आदेश जिन भूमियों के संबंध में पारित किया गया है वे भूमियां कभी भी म0प्र0 शासन की नहीं रही है। न म0प्र0 शासन को दी गई, ये भूमियां तपसी महाराज के निजी स्वत्व एवं आधिपत्य की थी। जो निगरानीकर्ता के पिता को तपसी महाराज ने जरिये पाट लगान अदा करने की शर्त पर दिया था, भूमियों निगरानीकर्ता के पिता सोमनाथ समदरिया को दिनांक 12.12.1958 दिया था, जो भूमियों का राजस्व कर अदा करते हुये निरंतर बतौर

सूर्यप्रकाश

# राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 5227/दो /2016 जिला–रीवा

| स्थान तथा दिनांक | कार्यवाही एवं आदेश | पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर |
|---|---|---|
| 31.10.16 | यह निगरानी आवेदक द्वारा अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 649/2015–16 अपील में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 के विरूद्ध म0प्र0 भू–राजस्व संहिता सन् 1959 की धारा 50 (जिसे आगे केवल संहिता कहा जायेगा) के अन्तर्गत प्रस्तुत की गई है।<br>2– प्रकरण का सारांश यह है कि पटवारी हल्का घटेहा द्वारा म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 248 के तहत प्रतिवेदन नायब तहसीलदार त्यौथर के समक्ष प्रस्तुत किया कि ग्राम घटेहा के आराजी नम्बर 4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14, 15,16,17,18,19,20,21,22,23,24 एवं 29 किता 22 जो जुमला रकवा 5.772 हैक्टेयर पर सूर्यप्रकाश पुत्र शोभनाथ द्वारा गेहूं, आलू, चना, राई बोकर बेजा कब्जा कर लिया है, जिसके आधार पर नायब तहसीलदार त्यौथर द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध किया जाकर आदेश दिनांक 15.02.2010 से आवेदक सूर्यप्रकाश को भूमि से बेदखल किये जाने एवं उस पर 500/– रूपये अर्थदण्ड किये जाने का आदेश पारित किया। इस आदेश के विरूद्ध द्वारा आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, त्यौंथर को अपील प्रस्तुत की गयी, जो आदेश दिनांक 26.02.2016 को निरस्त की गयी तत्पश्चात् अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा को अपील की गयी, जो आदेश दिनांक 17.03.2016 को निरस्त कर दी गयी। इसी आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा इस न्यायालय में यह निगरानी प्रस्तुत | |

की गयी हैं।

3– निगरानी मैमो में उठाये गये बिन्दुओं पर उभयपक्ष के अभिभाषको के तर्क सुने तथा उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो का अवलोकन किया गया।

4– आवेदक अभिभाषक ने तर्को में बताया कि उपरोक्त भूमि उनके पूर्वजों के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि है, जिस पर उसका कब्जा वर्ष 1958 से चला आ रहा है। वादग्रस्त भूमि के पूर्व भूमिस्वामी तपसी महाराज ने जरिये पाट लगान अदा करने की शर्त पर आवेदक के पिता शोभनाथ समदरिया को उक्त भूमि दिनांक 12.12.1958 को कब्जा सौंप दिया था। ऐसी स्थिति में संहिता की धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते एवं उक्त भूमि को वर्ष 1982–83 में रामजानकी मंदिर प्रबंधक, जिलाध्यक्ष, रीवा लिखा गया है। उक्त इन्द्राज बिना किसी अधिकार के किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण है।

आवेदक, अभिभाषक द्वारा अपने तर्को में यह भी उल्लेख किया है कि पूर्व में इसी भूमि के सम्बन्ध में प्रकरण क्रमांक 6–अ/68/2006–07 धारा 248 आवेदक के विरूद्ध चलाया गया था, जो पारित आदेश दिनांक 26.02.2007 से समाप्त किया गया था, ऐसी स्थिति में बाद में इसी भूमि के संबंध में प्रकरण नहीं चलाया जा सकता। विवादित भूमि के संबंध में आवेदक द्वारा व्यवहार न्यायालय के समक्ष स्वत्व घोषणा का दावा प्रस्तुत किया है, जो वर्तमान में विचाराधीन है, ऐसी स्थिति में भी विचारण न्यायालय की कार्यवाही त्रुटिपूर्ण है। आवेदक का कब्जा भूमि पर उनके पूर्वजों के समय से निरंतर चला आ रहा है तथा उक्त भूमि पर एक रिहायसी पुश्तैनी मकान बना हुआ है, बाग लगा है तथा कूप

खुदवाया गया है। आवेदक के पिता स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और उन्हें तपसी महाराज ने उक्त भूमियॉ लगान अदा करने की शर्त पर पाट लिखाकर दिया था, उसी आधार पर आवेदक के पिता एवं आवेदक द्वारा निरंतर लगान अदा किया जा रहा है, ऐसी स्थिति में विधि के प्रभाव से आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये है, इसलिए अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही निरस्त किये जाने एवं वर्तमान निगरानी स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।

5— अनावेदक म0प्र0 शासन की ओर से उपस्थित अधिवक्ता द्वारा अपने तर्को में यह बताया है कि उपरोक्त प्रकरण में विचारण न्यायालय, अपीलीय न्यायालय इस प्रकार समस्त न्यायालयों द्वारा आवेदक के विरूद्ध आदेश पारित किये गये है, ऐसी स्थिति में उपरोक्त आदेश स्थिर रखे जाने का निवेदन किया गया।

6— उभयपक्ष के अभिभाषकों द्वारा किये गये तर्को एवं उनकी ओर से प्रस्तुत दस्तावेजो के अवलोकन से स्पष्ट है कि पूर्व में यह भूमि तपसी महाराज के स्वत्व, स्वामित्व एवं आधिपत्य की भूमि थी, जिसे आवेदक के पिता शोभनाथ को जरिये पाट लगान अदा करने की शर्त पर दिनांक 12.12. 1958 को दी गयी थी, तब से आवेदक के पिता एवं बाद में आवेदक का निरंतर कब्जा दखल चला आ रहा है। उपरोक्त भूमि पर आवेदक का पूर्वजों के समय से रिहायसी पुश्तैनी मकान बना हुआ है एवं बाग लगा है तथा कूप बना हुआ है। ऐसी स्थिति में वर्तमान प्रकरण में संहिता की धारा 248 के प्रावधान आकर्षित नहीं होते। उपरोक्त भूमि पर विधि के प्रभाव से आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्राप्त हो गये हैं।

किन्तु तहसील न्यायालय द्वारा तथाकथित प्रतिवेदन के आधार पर आवेदक के विरूद्ध कार्यवाही प्रारम्भ की जाकर संहिता की धारा 248 के तहत् आवेदक को विवादित भूमि से बेदखल किये जाने एवं उस पर 500/– रूपये का अर्थदण्ड से आरोपित किया है जबकि इस प्रकरण में आवेदक को सूचना, सुनवाई एवं साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया है। इसी भूमि के संबंध में ग्राम न्यायालय द्वारा प्रकरण क्रमांक 184 वर्ष 2003 पंजीबद्ध किया गया था जो आदेश दिनांक 11.12.2003 से इस आधार पर निरस्त किया था कि म0प्र0 भू–राजस्व संहिता की धारा 250 के अन्तर्गत बेदखल करना, इस न्यायालय को अधिकार नहीं है और फिर बाद में इन्ही भूमियों के संबंध में तहसील न्यायालय द्वारा कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है, जो वैधानिक दृष्टि से उचित नहीं है। उपरोक्त बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विचार नहीं किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा की गयी समस्त कार्यवाही स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

7– उपरोक्त विवेचना के आधार पर नायब तहसीलदार वृत्त गढी द्वारा प्रकरण क्रमांक 3/अ–68/2008–09 में पारित आदेश दिनांक 15.02.2010, अनुविभागीय अधिकारी, त्यौथर द्वारा प्रकरण क्रमांक 45/अ–68/2008–09 आदेश दिनांक 26.02.2016 एवं अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 649/2015–16 में पारित आदेश दिनांक 17.03.2016 त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं, निगरानी स्वीकार की जाती है।

सदस्य